A2/1

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 04 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 63)

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. दलजीत सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 2. दलविन्द्र सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवारी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. राजविन्द्र सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, 2. केहर सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, 3. दर्शन सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, 4. काला सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, 5. गुरमेल कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, 6. तेजेन्द्र सिंह पुत्र काला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर, 7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। 8. कुलवीर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 9. मंगवीर सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 10. सतनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 11. स्वर्ण सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 12. गुरमेल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–08.03.2023

उपस्थितः **1.श्री पलविन्द्र सिंह, श्री इन्द्राज कुमार सेजू अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2.श्री मोहन लाल, श्री सतनात सिंह बराड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ता 6
3.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2
4. श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 ता 12

—–निर्णय—– दिनांक :11.12.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 29 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/4 में मुरब्बा नम्बर 6, 7, 8, 17, 25, 61/11 व 61/50 में कुल 9.179 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला आवेदकगण एंव अनावेदक संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 29 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 14/4 में मुरब्बा नं0 1, 8, 17, 25, 43, 61/14, 61/34 में कुल 8.883 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला अनावेदक संख्या 3 के नाम से एकल खाता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 29 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 13/4 के मुरब्बा नं0 1, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 61/10, 61/12 में कुल 16.720 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला अनावेदक संख्या 4-5-6 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 29 एफ के मुरब्बा नं0 41, 42, 43 प्रत्येक के किला नम्बर 1 से 5 की उत्तरी दिशा में गांव अरायण से श्रीगंगानगर जाने वाली पक्की डामर रोड़ स्थित है। मुरब्बा नम्बर 43 की उत्तरी दिशा में मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नं0 18 व 23 में चक 29 एफ की आबादी स्थित है। मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 23, 18, 13, 8, 3 व किला नं0 2, 9, 12, 19, 22 के बीचो बीच आबादी में जाने के लिए पक्का खडवंजा ग्राम पंचायत 27 एफ करणीपुरा द्वारा कई वर्ष पूर्व बनाया हुआ है, जब से चक 29 एफ की आबादी बसी है, तब से उक्त मार्ग मौका पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

भी चालू है, जिसके दोनो ओर पक्के मकान बने हुये है। उक्त खडवंजा मुरब्बा नम्बर 34 के किला नं0 23 से आरम्भ होकर, मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 18 की सीमा तक संचालित है। मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 18 में 0.253 हैक्टर, किला नं0 22/2 में 0.025 हैक्टर व 23/2 में 0.110 हैक्टर नहरी भूमि में आवेदक संख्या 4-5-6 के नाम संयुक्त रूप से जमाबंदी में दर्ज है और किला नं0 23 में अनोवदक संख्या 4, 5, 6 का रिहायशी मकान व किला नं0 18 में उनका नोहरा स्थित है। चक 29 एफ की आबादी में श्रीगुरूद्वारा साहिब, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाबा रामदेव मंदिर, जोहड़, पानी की डिग्गी आदि स्थित है। उक्त खडवंजा से आगे अनावेदक संख्या 3 दर्शन सिंह की कृषि भूमि मुरब्बा न0 25 के किला नं0 2/2, 8, 12, 13, 19 में एकल खाता में स्थित है। इसी मुरब्बा न0 25 के किला नं0 4, 5, 6, 7, 14, 15 में आवेदकगण की भूमि स्थित है। आवेदकगण अपनी उक्त भूमि में आने जाने के लिए पक्की सड़क से मुरब्बा नं0 34 में स्थित पक्का खडवंजा से होकर, मुरब्बा नं0 25 में प्रवेश करते है, जहां से किला नं0 22 की पूर्वी दिशा में से अनावेदक संख्या 4, 5, 6 की भूमि में से होकर, किला नं0 19 की पूर्वी दिशा में वट के साथ साथ चलते हुये, किला नं0 12 में प्रवेश कर, पूर्वी दिशा में किला नं0 13 मे प्रवेश करते हुये, किला नं0 13 से 8 की पश्चिमी दिशा में वट के साथ साथ होकर, किला नं0 8 में ही उतरी दिशा की वट के साथ साथ होकर, पश्चिम दिशा में जाकर, किला नं0 7 में प्रवेश करते है। अनावेदक संख्या 3 दर्शन सिंह ने अपनी एकल खाता की भूमि मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 19 में दो-दो विस्वा, किला नम्बर 12 का दक्षिण-पूर्वी कोना, किला नम्बर 13 में दो-दो विस्वा, किला नम्बर 8 में पश्चिम-उतरी दिशा में दो-दो बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में आवेदकगण को दी हुयी है। इस रास्ता की भूमि के बदले आवेदकगण ने मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 16 में अनावेदक संख्या 3 को कृषि भूमि काश्त के लिए दे रखी है। इस संबंध में दिनांक 29.08.1998 को लिखित में इकरारनामा दर्शन सिंह-केहर सिंह के मध्य निष्पादित किया हुआ है और वर्ष 1998 से ही उक्त रास्ता मौका पर दोनो पक्षो की सहमति से निरंतर, निर्बाध व शांतिपूर्वक रूप से संचालित है। उक्त कृषि भूमि व खडवंजा के मध्य अनावेदक संख्या 4, 5, 6 की मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22 में 0.025 हैक्टर भूमि स्थित है। अनावेदक संख्या 4, 5, 6 ने आवेदकगण का मार्ग अवरूद्ध करने के लिए आज से कुछ समय पूर्व किला नम्बर 22 के उतरी-पूर्वी कोने में दीवार निकालकर, अस्थायी निर्माण कर लिया। जिससे आवेदकगण अपनी भूमि व ढाणी में आने जाने से वंचित हो गए है। रास्ता के अलावा आवेदकगण की भूमि में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक या विशिष्ट रूप से मार्ग विद्यमान नही है। मुरब्बा नम्बर 17 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में भी आवेदकगण की कृषि भूमि स्थित है तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नं0 25 में आवेदकगण की रिहायश शुदा ढाणी है। इस कारण हम आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 7 में प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नम्बर 34 में स्थित खडवंजा में होकर, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22 में से होकर, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 19, 12, 13 व 8 में 16 फुट चालू रास्ता को स्वीकृत करवाया जाना आवेदकगण की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और इस मार्ग के अतिरिक्त विशिष्ट रूप से या वैकल्पिक रूप से मार्ग या साधन का अभाव हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि पूर्व में संयुक्त खाता की भूमि थी। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण अनवान जगदेव सिंह आदि बनाम हरसिमरन कौर आदि, प्रकरण संख्या 101/2011 में दिनांक 11.05.2017 को निर्णय पारित कर, माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारान को निर्देशित किया गया था कि " इस बंटवारा किया जा रहे रकबा में यदि कोई रास्ता सुखाचार से चल रहा है तो उसे कोई काश्तकार बंद नही करेगा और न ही किसी को आवागमन से रोकेगा, बंटवारा किए जा रहे रकबा में यदि कोई खाला एवं आड़ काश्त सुविधा हेतु चल रहा है तो उसे किसी प्रकार से बंद नही किया जावेगा एवं न ही किसी काश्तकार को पानी लगाने से रोका जावेगा।" इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बावजूद भी अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता को अवरूद्ध करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे है तथा मौका पर गत 25 वर्षो से संचालित रास्ता को बंद करने एवं नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण अनावेदकगण को ऐसा करने से रोका जाना भी अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पेश कर अर्ज है कि चक 29 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/4 में मुरब्बा नं0 6, 7, 8, 17, 25, 61/11 व 61/50 में कुल 9.179 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला में आवेदकगण को आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22/2 की 0.025 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 19/2 की 0.222 हैक्टर में पूर्वी दिशा के दो बिस्वा, किला नं0 12/1 के 0.222 हैक्टर में दक्षिणी-पूर्वी कोने में 25 फुट, किला नं0 13 में 0.253 हैक्टर मे से पश्चिम दिशा में दो बिस्वा, किला नं0 8 के 0.253 हैक्टर में से पश्चिम दिशा में दो बिस्वा एवं उतरी दिशा में दो बिस्वा कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करें व मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 22/2 में अनावेदक संख्या 4, 5, 6 द्वारा चालू रास्ता के बीचो बीच निर्मित अस्थायी निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाये जाने के आदेश प्रदान कर, मार्ग चालू करवाये जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल, सतनाम सिंह बराड उपस्थित आए। अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग के द्वारा प्रार्थीगण कुलवीर सिंह, मंगवीर सिंह, सतनाम सिंह, स्वर्ण सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो वाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को बतौर अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22/2 की 0.025 हैक्टेयर भूमि, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 19/2 की 0.222 हैक्टेयर में पूर्वी दिशा के दो बिस्वा, किला नम्बर 12/1 के 0.222 हैक्टेयर में दक्षिणी-पूर्वी कोने में 25 फुट, किला नम्बर 13 में 0.253 हैक्टेयर मे से पश्चिम दिशा में दो बिस्वा, किला नम्बर 8 के 0.253 हैक्टर में से पश्चिम दिशा में दो बिस्वा एवं उतरी दिशा में दो बिस्वा कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करें व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22/2 में अनावेदक संख्या 4, 5, 6 द्वारा चालू रास्ता के बीचो-बीच निर्मित अस्थायी निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाये जाने के आदेश प्रदान कर, मार्ग चालू करवाये जाने के आदेश प्रदान किए जावे। अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग के द्वारा प्रार्थी गुरमेल सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को बतौर अप्रार्थी संख्या 12 के रूप में संयोजित किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 3 ता 6, 8 ता 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मुरब्बा नम्बर 41, 42, 43 के किला नम्बर 1 ता 4 में पक्की सड़क अरायण से श्रीगंगानगर स्थित मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 के मध्य खडवंजा मार्ग चालू है, किन्तु राजस्व अभिलेख में मंजूरशुदा रास्ता नहीं है और जब तक यह मार्ग स्वीकृत नहीं होता, तब तक आगे के मार्ग से जुडाव नही होगा। इसलिए चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 34 के पक्षकारो को संयोजित किया जाना अति आवश्यक है। प्रस्तावित रास्ता किसी भी प्रकार से व्यावहारिक नहीं है। मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 23 में आधा तथा किला नम्बर 18 आधा में रिहायशी मकान पिछले 40-50 वर्षो से बने हुए है। जिसमें किला नम्बर 23 के पश्चिम में तथा किला नम्बर 18 के उतर में मुख्य द्वार खुलते है। इसी प्रकार किला नम्बर 22 उतरी-पूर्वी कोने में एक 15X15 फीट चौडे कमरे बने हुए है। जिसमें 40-50 वर्षो से रिहायश है। इसलिए किसी भी रूप से रिहायशी घर को तोड कर रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित मार्ग का कभी भी उपयोग एवं उपभोग नहीं किया गया, जोकि पूर्व में पक्षकारान के मध्य धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 8(2) राजस्थान उप (सामान्य उप) शर्त के अधीन चले थे, जिसमें कभी भी रास्ता नहीं खोला गया और ना ही मार्ग स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी वर्तमान में कोई निर्माण नहीं किया गया। बल्कि 37-38 वर्ष से भी पूर्व रिहायशी मकान एवं नोहरा स्थित है। प्रार्थीगण ने महज प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए यह अंकित किया है। रास्ते के अवरोध हो तो धारा 251 ए लागू ही नही होता। बल्कि धारा 251 आर टी ए लागू होगी। प्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक मार्ग का उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते की कृषि भूमि मुश्तर्का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

खाता की भूमि है, कानूनन मुश्तर्का खाता की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है, इसलिए सभी काश्तकार को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा सभी सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। विधि का स्पष्ट सिद्धान्त है कि रास्ता हमेशा छोटा एवं सुविधाजनक एवं पत्थर लाईन पर होना चाहिए। मौजूदा प्रकरण में प्रार्थी की ढाणी मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 में स्थित है और ढाणी के लिए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 से 25 व 23, 24 (7 बीघा) में से होकर स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु प्रार्थी की कृषि भूमि किला नम्बर 15 में होने से केवल किला नम्बर 16, 25, 24, 23 कुल 4 बीघा अत्यन्त छोटा मार्ग है, दूसरी ओर मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21, 22 में प्रचलित रास्ता व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 से 25 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में भी रास्ता चालू है, जिसके केवल मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है, ताकि अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नं0 21 तक उक्त रास्ता जुड जायेगा। जिससे मुरब्बा नम्बर 18 की भूमि को भी रास्ता मिल जायेगा। उक्त रास्ते से प्रार्थी व अप्रार्थीगण आ जा रहे है। इसलिए उक्त रास्ते को मंजूर किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित रास्ते से अप्रार्थीगण की कृषि भूमि किला नम्बर 12, 10, 8, 9 में से दो टुकडो में बंट जायेगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश दिए जावें।

4. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2023/746 दिनांक 01.06.2023 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण व पटवारी हलका कर्मीनपुरा द्वारा चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 34, 25, 26, 17, 18, 19 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजी चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 7 व मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 में बनी ढाणी तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22/1 की पूर्वी दिशा में 0.025 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 19/2 की पूर्वी दिशा में 0.025 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 12/1 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 25 फुट, किला नम्बर 13 की पश्चिम दिशा में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की पश्चिम दिशा में 0.025 हैक्टेयर एवं उतरी दिशा में 0.025 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन रास्ते की मांग की गई है। मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22/1 के उतरी-पूर्वी कोने में मौका पर पक्का कमरा बना हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता में मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22/1 के उतरी-पूर्वी कोने में पूर्व में ही पक्का कमरा बना होने से मार्ग अवरूद्ध है। शेष रास्ता चालू है। प्रार्थी को अपने खेत व ढाणी में आने-जाने के लिए अन्य दो विकल्प है।

प्रथम विकल्पः- चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 23 में स्थित स्वीकृत शुदा रास्ता से मुरब्बा नम्बर 18, 19 के किला नम्बर 21 से 25 में से होकर अपने खेत व ढाणी में जा सकता है।

द्वितीय विकल्पः- चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3/2, 8/2, 13/2 18/2, 23/2 व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 व 22/1 में स्थित खडवंजा शुदा रास्ता से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6,15, 16, 25 में मौका पर चालू रास्ता से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 2, 3 से होकर अपने खेत व ढाणी में जा सकता है।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जाँच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।" भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व ग्राम 29 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/4 में मुरब्बा नम्बर 6, 7, 8, 17, 25, 61/11 व 61/50 में कुल 9.179 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा चक 29 एफ के अपने खेत व मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 में बनी ढाणी तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22/1 के उतरी-पूर्वी कोने में बने 15X15 वर्गफीट कमरे को हटवाकर, किला नम्बर 19/2 की पूर्वी दिशा में 0.025 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 12/1 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 25 फुट, किला नम्बर 13 की पश्चिम दिशा में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की पश्चिम दिशा में 0.025 हैक्टेयर एवं उतरी दिशा में 0.025 हैक्टेयर भूमि से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है।

हमने प्रकरण का अध्ययन किया कि क्या उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पास अपने रकवा को काश्त करने व मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 में बनी ढाणी तक पहुचने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है या नहीं। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में अन्य दो वैकल्पिक मार्ग दर्शाए है। प्रथम वैकल्पिक मार्ग में चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 23 में स्थित स्वीकृत शुदा रास्ता से मुरब्बा नम्बर 18, 19 के किला नम्बर 21 से 25 में से होकर अपने खेत व ढाणी में जा सकता है। द्वितीय वैकल्पिक मार्ग में चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3/2, 8/2, 13/2, 18/2, 23/2 व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 व 22/1 में स्थित खडवंजा शुदा रास्ता से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6,15, 16, 25 में मौका पर चालू रास्ता से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 2, 3 से होकर अपने खेत व ढाणी में जा सकता है। द्वितीय वैकल्पिक रास्ता के संबध में काला सिंह, गुरमेल सिंह, प्रीतम सिंह, दर्शन सिंह ने शपथ पत्र दिया है कि चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्वी दिशा में मौका पर पुराना रास्ता चल रहा है। उक्त भूमि काला सिंह के नाम है। मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 1 काला सिंह के कब्जा काश्त में है व किला नम्बर 2 पर प्रीतम सिंह व दर्शन सिंह का कब्जा काश्त है तथा किला नम्बर 3 गुरमेल सिंह के कब्जा काश्त में है। आगे मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 4 व 5 दलजीत सिंह व दलविन्द्र सिंह के कब्जा काश्त में है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्वी दिशा व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 2, 3 में रास्ता मंजूर किए जाने की सहमति देते है। उक्त रास्ता आगे मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 4, 5 उतरी दिशा जो दलजीत सिंह व दलविन्द्र सिंह की भूमि में से आगे मंजूर किया जावे। ताकि उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 में बनी ढाणी व मुरब्बा नम्बर 18 कुलवीर सिंह आदि के किला नम्बर 21 तक मिल सके।

6. उक्त प्रकरण के संबध में पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में पाया गया कि चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 43 में स्वीकृत शुदा डामर रोड से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 23, 18, 13, 8, 3 प्रत्येक की पश्चिमी दिशा से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 23 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22, 21 प्रत्येक की दक्षिणी दिशा में खंडवजा रास्ता चल रहा है। इस खंडवजा रास्ता के दोनों तरफ आवादी मकान बसे हुए है। खंडवजा रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। इस खंडवजा रास्ता से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी दिशा में घरेलू रास्ता चल रहा है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी दिशा में रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने खेत व ढाणी में पंहुच सकते है। प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थी संख्या 4 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

22 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में बने कमरे को हटाना पडेगा तथा अप्रार्थीगण की भूमि दो भागो में बंट जाऐगी। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6, 8 ता 12 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने रकबा व ढाणी तक पहुंचने के लिए द्वितीय वैकल्पिक रास्ता मंजूर किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है। इसलिए प्रार्थीगण को रास्ता की भूमि के बदले कोई भूमि व प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करना पडेगा। इसके साथ-साथ द्वितीय वैकल्पिक मार्ग स्वीकृत होने से मुरब्बा नम्बर 33, 34, 25, 26, 16, 17, 18 के काश्तकारों को भी रास्ता मिल जाऐगा तथा अप्रार्थी संख्या 4 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में बने कमरे को हटाना भी नहीं पडेगा। अतः प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य द्वितीय वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रस्तावित रास्ता के अलावा राजस्व ग्राम 29 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 23, 18, 13, 8, 3 प्रत्येक की पश्चिमी दिशा में 0.026-0.026 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 23 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 0.0026 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 22, 21 प्रत्येक की दक्षिणी दिशा में 0.026-0.026 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी दिशा में 0.026-0.026 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी दिशा में 0.026-0.026 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान